



# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024  
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प./2018-2777

दिनांक: 01.04.2018

## कार्यालय-आदेश

समय-समय पर विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकरणों में अनुशासन समिति अथवा जाँच समितियाँ गठित होती हैं। उनकी कार्यवाहियों को विनियमित (Regulate) करने के उद्देश्य से मा. कुलपति महोदया द्वारा निम्न लिखित निर्देश कड़ाई से अनुपालन हेतु दिये हैं-

1. किसी भी अनुशासन समिति अथवा जाँच समिति की सुनवाई के समय जाँच समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्य अनिवार्य रूप से समिति की बैठक में मौजूद रहें। इसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम (Deviation) स्वीकार्य नहीं होगा।
2. अनुशासन समिति अथवा जाँच समिति की प्रत्येक आख्या/कार्यवाही अन्तरिम हो या अंतिम मा. कुलपति महोदया के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना समिति अध्यक्ष/संयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अनुशासनसमिति अथवा जाँच समिति के निर्णयों पर कार्यवाही के पूर्व माननीय कुलपति महोदया का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त कृपया सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु यह आदेश स्थायी प्रकृति के होंगे।

(एस.के. शुक्ल)

कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रभारी/निदेशक/विभागाध्यक्ष समस्त विभाग विश्वविद्यालय परिसर।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के अवलोनार्थ।
3. समस्त सहायक कुल सचिव/उप कुल सचिव।
4. वैयक्तिक सहायक वित्तअधिकारी/कुल सचिव।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
6. समस्त विभागीय/संस्थान/छात्रावास सूचनापट्ट।

(एस.के. शुक्ल)

कुल सचिव